न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–33 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–209 / 2020
अंतर्गत धारा–326, 379, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

26.03.2026 काराधीन अभियुक्त–1. नीतीश कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–17.01.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया जोकि धारा–326, 379, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–209 / 2020, दिनांक–12.09.2020, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रणविजय सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं किया गया है। आवेदक निर्दोष हैं तथा इनके द्वारा गोली नहीं चलाया गया है, इन्हें ग्रामीण राजनीति के कारण इस केस में गलत फंसाया गया है। आवेदक दिनांक–08.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक के विरूद्ध इस मामले के अलावा अन्य तीन अपराधिक मामले भी लंबित है। अभियोजन के कथन को देखा जायेगा तो स्पष्ट हो जायेगा कि पीड़ित अपने आंख से घटना को कारित होते नहीं देखा है। घटना किसने किया है, यह नहीं देखा है, उसका कहना है कि आवेदक सिर्फ छत पर पिस्टल लेकर खड़ा था। ऐसा कोई–भी वस्तु आवेदक के पास से बरामद नहीं हुआ है, जिससे इनकी संलिप्तता इस केस में परिलक्षित होती है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अनुसार सूचक–विकाश कुमार के फर्द–ब्यान के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक–18.08.2020 को रात्रि में विकाश कुमार खाना खाकर अपने घर के छत पर सो रहा था। रात्रि लगभग एक से दो बजे के बीच में अचानक गोली उसके बाएं पैर के जांध में लगी। आंख खोलने पर देखा कि नीतीश कुमार, जो उन्हीं के गांव का था, हाथ में पिस्टल लिए हुए खड़ा था और अंशु कुमार अपने हाथ में चाकू लिए हुए था। अंशू कुमार के द्वारा गर्दन से सोने का दो–भर का चैन छीन लिया गया और छत से वे लोग कुद कर भाग गए। इन लड़कों से सूचक का पूर्व से कोई विवाद नहीं था। गोली लगने के बाद सूचक के घर के लोग उसे ईलाज–हेतु अस्पताल लेकर आए।

कांड दैनिकी के कंडिका–19 में जख्मी–विकाश कुमार का पुनः, ब्यान है जिसमें उसने घटना का समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार एवं अंशु कुमार आए और उसके साथ घटना किए। कांड दैनिकी के कंडिका–66 के अनुसार नीतीश कुमार का अपराधिक इतिहास है, उनके विरूद्ध इस केस के अलावा अन्य अपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कांड दैनिकी के कंडिका–8 में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–33 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–209 / 2020
अंतर्गत धारा–326, 379, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

लगातार

26.03.2026

साक्षी–नरेश राय ने भी घटना का समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्त पर विकाश कुमार के जांध में गोली मारने का विशिष्ट आरोप है। आवेदक का अपराधिक इतिहास है।

अतः, ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराधिक इतिहास को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. नीतीश कुमार को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़